

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1933 का उत्तर

झुंझुनू जिले में रेलवे अंडरपास में जलभराव

1933. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर में, विशेषकर झुंझुनू जिले और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में, कई रेलवे अंडरपास में मानसून के दौरान गंभीर जलभराव हो जाता है;
- (ख) यदि हां, तो दैनिक आवागमन पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव और राजस्थान में आम आदमी को होने वाली असुविधा का जिलावार और स्थानवार उल्लेख सहित ऐसे अंडरपासों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या समस्याओं के समाधान के दावे किए जाते हैं, लेकिन उपायों के बावजूद, बरसात के मौसम में जलभराव फिर से हो जाता है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित नहीं कर पा रही है; और
- (ङ) पर्याप्त जल निकासी पंपिंग प्रणाली और अवसंरचनात्मक सुधार के लिए सरकार की स्थायी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 14,745 अदद निचले सड़क पुल/अंडरपास मौजूद हैं जिसमें राजस्थान राज्य के 1,918 अदद निचले सड़क पुल/अंडरपास शामिल हैं। झुंझुनू जिले में 63 अदद निचले सड़क पुल/अंडरपास हैं। भारी बारिश के दौरान, कुछ सबवे में जलजमाव की समस्या पाई गई है, जिसका पंप की व्यवस्था आदि करके निवारण किया गया है।

रेलवे ने अंडरपास में जलजमाव की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- (i) पर्याप्त जलनिकासी की व्यवस्था को नए निचले सड़क पुल/सबवे की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया गया है।
- (ii) मौजूदा निचले सड़क पुल/सबवे में सुधारात्मक उपायों के रूप में अर्थात् पानी के प्रवाह को नजदीकी पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंचमार्गों पर कवर शेड की व्यवस्था करना, निचले सड़क पुल के प्रवेश पर हंप की व्यवस्था करना, पानी के आने-जाने की व्यवस्था करना, जोड़ों को सील बंद करना आदि व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं।
- (iii) चिह्नित किए गए निचले सड़क पुलों के लिए पंप की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में जल की शीघ्र निकासी की जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए असामान्य/असाधारण वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात रोकने की सुविधा हो।
- (iv) सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति में और असाधारण/असामान्य वर्षा के दौरान सड़क यातायात रोकने की व्यवस्था।
